162

संख्या–266/VI-2 /2012–51(5)2011 टी0सी0

प्रेषक,

सुनील श्री पांथरी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः16अक्टूबर, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 में युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग की राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0) के आयोजनागत पक्ष में धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–734/दो–2307–एन0एस0एस0–पी0/2012–13 दिनांक 03 सितम्बर, 2012 तथा शासनादेश संख्या–99/VI–2/2011–51(5)2011 टी0सी0 दिनांक 18 अप्रैल, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, वित्तीय वर्ष 2012–13 में युवा कल्याण विभाग के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0) योजनान्तर्गत सामान्य शिविरों के आयोजन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से ₹ 67.08 लाख (₹ सढसठ लाख आठ हजार) मात्र की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 तथा शासनादेश संख्या–321/XXVII(1)/ 2012 दिनांक 19 जून, 2012 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

3– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से

..2....

अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

4– व्यय बजट एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत रहते हुए ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– योजनान्तर्गत अवमुक्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष वास्तविक केन्द्रांश की प्राप्ति/समायोजन समयान्तर्गत कर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार के योजनान्तर्गत निर्धारित दिशानिर्देशानुसार संगत नियमों के आलोक में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान सं. 11 के लेखाशीर्षक 2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएं–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–01–केन्द आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0102–एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ–75% के0स0 (2202–03–80–01 से स्थानान्तरित) के मानक मद–42 अन्य व्यय (आयोजनागत पक्ष) के अनुसार संगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–99(पी)/XXVII(3)/2012–13 दिनांकः 12, अक्टूबर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनील श्री पांथरी)
उप सचिव

पृष्ठांकन संख्या–266/VI-2/2012–51(5)2011 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनुसचिव।